

प्रेषक,

शैलेश कुमार,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक

विषय— डा0 किशोर कुमार, सेवानिवृत्त अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, औरंगाबाद को पेंशन, उपदान एवं पेंशन रूपान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि डा0 किशोर कुमार, सेवानिवृत्त अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, औरंगाबाद को वार्षिक सेवा निवृत्ति के पश्चात उन्हें अनुमान्य पेंशन, उपदान एवं पेंशन रूपान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है । डा0 किशोर कुमार की सेवा निवृत्ति की तिथि 31.03.2025 है ।

2 उपर्युक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यदि कभी भी लबित अंकेक्षण/निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 51/2023-24 के निष्पादन के क्रम में कोई वसूली का मामला प्रकाश में आता है तो उसकी नियमानुकूल वसूली डा0 किशोर कुमार से की जाएगी ।

3) इस पत्र के साथ सलग्न अनुलग्नक—

(क) पेंशन—प्रपत्र 4 की दो प्रति ।

(ख) संयुक्त फोटो ।

(ग) हस्ताक्षर का नमूना ।

(घ) पारिवारिक सदस्यों की सूची ।

(ङ) पेंशन/उपदान की गणना तालिका ।

(च) पेंशन रूपान्तरण की स्वीकृति ।

(छ) अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र ।

(ज) वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत दीर्घकालीन बकाया रहित प्रमाण पत्र ।

(झ) आवास बकाया रहित प्रमाण पत्र ।

(ञ) सेवा इतिहास ।

(ट) विभागीय बकाया रहित प्रमाण पत्र ।

(ठ) अंतिम प्रभार प्रतिवेदन ।

4) अनुरोध है कि सभी बकायों के संबंध में अपने स्तर से पूर्णतः संतुष्ट हो लेने के उपरान्त ही प्राधिकार—पत्र निर्गत करने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(शैलेश कुमार)

ज्ञापक:

27/3/

/स्वा0, पटना, दिनांक :

8/5/25

प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: डा0 किशोर कुमार, सेवानिवृत्त अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, औरंगाबाद, पत्राचार का पता—मोहल्ला—बाबूगंज, हॉस्पिटल रोड, डाकघर—रफीगंज, थाना—रफीगंज, जिला—औरंगाबाद, पिन—824125, मो0नं0—9771022577 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—2,7,8,9 एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव